

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 355768
ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(Aff Housing)-115-02/2016

पटना, दिनांक 22/02/18

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
कटिहार ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रखण्ड मुख्यालय में मॉडल आवास निर्माण एवं प्रशासनिक मद में राशि उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार का ज्ञापांक-241 दिनांक-09.02.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपका प्रासंगिक पत्र जो प्रखण्ड कार्यालय में मॉडल आवास निर्माण हेतु जिलान्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को प्रशासनिक मद की राशि उपलब्ध कराने से संबंधित है, के प्रसंग में कहना है कि जिला स्तर से प्रखण्ड मुख्यालय में आवास के मॉडल निर्माण की कार्रवाई अनियमित होने के साथ-साथ इस पर किया गया व्यय अनावश्यक व्यय माना जायेगा क्योंकि पत्र में उल्लिखित विभागीय पत्रांक-301738 दिनांक-27.02.17 एवं 328728 दिनांक-18.09.17 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रखण्ड मुख्यालय में मॉडल आवास निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है ।

उपर्युक्त के संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि विभागीय संकल्प संख्या-301738 दिनांक-27.02.17, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु निर्गत फ्रेमवर्क के आधार पर योजना का कार्यान्वयन कराने के नीतिगत निर्णय से संबंधित है वहीं विभागीय पत्रांक-328728 दिनांक-18.09.17 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार आवास निर्माण के डिजाईन के विकल्प का चुनाव करने हेतु लाभार्थियों को अवगत कराने से संबंधित है । अतः किसी खास डिजाईन का जिला स्तर से चुनाव कर उसी आवास के मॉडल के अनुसार आवासों का निर्माण कराने का भी कोई औचित्य नहीं है । इसके लिए किसी लाभुक को बाध्य भी नहीं किया जा सकता है ।

अतः अनुरोध है कि जिला स्तर से किसी विशिष्ट मॉडल का चयन कर प्रखण्ड मुख्यालयों में उसके मॉडल निर्माण की कार्रवाई पर अविलम्ब रोक लगायी जाय ।

विश्वासभ्रजन

(राहुल रंजन महिवाल)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 355768

पटना, दिनांक 22/02/18

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव